Helpline **1064** **94135-02834**

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उदयपुर में प्राईवेट व्यक्ति (दलाल) 3,50,000/- रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 26 अगस्त, मंगलवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये आरोपी शांतिलाल सोनी पुत्र गोपाल लाल सोनी (प्राईवेट व्यक्ति) , उम्र 42 साल, निवासी–धमाना रोड, नई हरिजन बस्ती, हैप्पी पब्लिक स्कूल के पास कपासन, पुलिस थाना–कपासन, जिला–चित्तौडगढ को **3,50,000/- रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर तृतीय जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी द्वारा विक्रय की गई बीएमडब्ल्यू कार की बकाया रूपये दिलवाने में मदद करने व परिवादी द्वारा जरिये कोर्ट दर्ज कराये जा रहे प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध चालान पेश करने व सारे मामले को निपटाने की एवज में आरोपी शांतिलाल सोनी व श्री हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्पेशल इन्वेस्टेंशिन यूनिट क्राइम अगेंस्ट वुमन (SIUCAW) उदयपुर द्वारा 3,00,000/- रूपये रिश्वती राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है, जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान 3,50,000/- रूपये रिश्वती राशि मांग करने के तथ्य प्रकट हुये।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक–द्वितीय श्री आनन्द शर्मा** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. जयपुर नगर–तृतीय जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ज्ञान प्रकाश नवल** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री सुरेश कुमार स्वामी** एवं अन्य ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी शांतिलाल सोनी, प्राईवेट व्यक्ति उदयपुर को श्री हितेश मेहता, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के लिये 3,50,000/- रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की **कार्यवाहक महानिदेशक श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरवीजन में आरोपी शांतिलाल सोनी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। आरोपी श्री हितेश मेहता अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की भूमिका संदिग्ध प्रकट हुई है, जिसके संबंध में पृथक से विस्तृत अनुसंधान किया जाएगा। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।